

मौद्रिक और पर्यवेक्षी विवरणी

(यह विवरणी, 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफसी.118/डीजी (एसपीटी)-98 के पैरा 8(3) और आरएनबीसी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश, 1987 के पैरा 2 में आवरित क्रमशः उन सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीज); और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों, द्वारा प्रस्तुत की जाए, जिनके पास अंतिम (last) लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार जनता की जमाराशियाँ 20 करोड़ रुपए या अधिक हैं।)

कंपनी का नाम: _____ (एनबीएफसी/आरएनबीसी)

_____ को समाप्त तिमाही की विवरणी

_____ कंपनी कोड (रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त)

विवरणी भरने के लिए अनुदेश

1. यह विवरणी प्रत्येक तिमाही अर्थात् मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को समाप्त हरेक तिमाही की स्थिति के अनुसार संबंधित तिमाही की समाप्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक को इस प्रकार प्रस्तुत की जाए कि वह तिमाही की समाप्ति से **10 दिनों के भीतर** रिजर्व बैंक को प्राप्त हो जाए।

2. राशि को निकटतम लाख रुपये में पूर्णांकित किया जाए। अगर विवरणी के किसी भाग/मद में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं हो, तो संबंधित भाग/मद के अंतर्गत "खाते" के स्तंभ में "कुछ नहीं" लिखा जाए और "राशि" स्तंभ में 000 का उल्लेख किया जाए।

3. विवरणी (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 में यथा परिभाषित) प्रबंधक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए और यदि ऐसा प्रबंधक न हो तो प्रबंध निदेशक या इस उद्देश्य के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए जिसके नमूना हस्ताक्षर एतदर्थ भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराए गए हों। यदि निर्धारित कार्ड पर हस्ताक्षर उपलब्ध न कराये गए हों तो विवरणी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही हस्ताक्षरित होनी चाहिए और उसके नमूना हस्ताक्षर अलग से उपलब्ध कराये जाएं।

4. इस फार्म में प्रयुक्त कतिपय अभिव्यक्तियों की परिभाषा निम्नानुसार है:

ब्याज कवरेज अनुपात= $\frac{\text{करोत्तर लाभ+मूल्य हास+ब्याज}}{\text{ब्याज}}$

ब्याज

औसत कुल परिसंपत्तियों की तुलना में परिचालन व्यय : कंपनी के औसत प्रशासनिक और स्थापना खर्च का अनुपात।

औसत कुल परिसंपत्तियाँ = (निवल अचल परिसंपत्तियों+ निवेश+ चालू परिसंपत्तियों) के अथ शेष और इति शेष का औसत-[अपरिपक्व वित्त प्रभार+अमूर्त व्यय(intangibles)]

भाग - 1 कंपनी की संक्षिप्त रूपरेखा

- 1.1 कंपनी का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता।
- 1.2 पिछली रिपोर्टिंग के पश्चात उल्लिखित विवरण में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो ।
- 2.1 कंपनी की शाखाओं की संख्या। जमाराशियाँ लेने वाली न लेने वाली
- 2.2 पिछली रिपोर्टिंग के पश्चात शाखाओं की संख्या में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो । जमा राशियां लेने वाली न लेने वाली
खोली गई बंद की गई खोली गई बंद की गई
- 3.1 कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम, पदनाम और टलीफोन संख्या।
- 3.2 पिछली रिपोर्टिंग के पश्चात निदेशक मंडल सहित प्रबंधन में, यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसका ब्योरा दिया जाए।
4. अगर सहायक कंपनी हो तो होल्डिंग कंपनी का नाम और पता
5. क्या कंपनी विदेशी कंपनी है/किसी विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी/ का संयुक्त उद्यम है।
6. अगर सहायक कंपनियां हैं तो उनकी संख्या
7. क्या सरकारी कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के तहत आती है?
8. कंपनी का वित्तीय वर्ष।

भाग - 2 मौद्रिक डाटा Monetary Data)

| मद सं. | विवरण | राशि |
|----------|---|------|
| 1 | देयताएं | |
| 1.1 | चुकता/प्रदत्त पूंजी | |
| 1.2 | निर्बंध प्रारक्षित निधियां | |
| 1.3 | हानिगत संचित शेष | |
| 1.4 | जनता की जमाराशियां | |
| 1.4.1 | जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष या उससे कम शेष है | |
| 1.4.2 | जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक शेष है | |
| 1.5 | परिवर्तनीय या जमानती अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम के मार्फत उधार | |
| 1.6 | अन्य उधार | |
| 1.6.1 | बैंको और संस्थाओं से | |
| 1.6.2 | अंतर कंपनी जमाराशियां | |
| 1.6.3 | विदेशी सरकारों, प्राधिकरणों और व्यक्तियों से | |
| 1.7 | अन्य देयताएं जिनमें शामिल हैं शेयर आवेदन राशियाँ, ऐच्छिक पूर्णतः | |

| | | |
|----------|---|--|
| | परिवर्तनीय डिबेंचर | |
| 1.7.1 | भारत में | |
| 1.7.2 | भारत के बाहर | |
| 1.8 | कुल देयताएं | |
| 1.9 | कर्ज (debt) इक्विटी अनुपात | |
| 2 | परिसंपत्तियां | |
| 2.1 | निवेश | |
| 2.1.1 | सरकारी प्रतिभूतियों में | |
| 2.1.2 | कंपनी क्षेत्र में- शेयर, बांड और डिबेंचर, सरकारी गारंटी वाले बांड | |
| 2.1.3. | कंपनी क्षेत्र - वाणिज्यिक पत्र | |
| 2.1.4 | अन्य (अर्ध सरकारी प्राधिकरणों, नगर पालिकाओं की प्रतिभूतियों आदि में) | |
| 2.2 | ऋण और अग्रिम (प्राप्य ब्याज सहित) | |
| 2.2.1 | भारत में | |
| 2.2.2 | भारत के बाहर | |
| 2.3 | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | |
| 2.3.1 | किराया खरीद | |
| 2.3.2 | उपस्कर पट्टादायी, वाहन और अन्य | |
| 2.3.3 | बिलों की भुनाई | |
| 2.4 | अन्य परिसंपत्तियां | |
| 2.4.1 | भारत में | |
| 2.4.2 | भारत के बाहर | |
| 2.5 | कुल परिसंपत्तियां | |
| 2.6 | जोखिम | |
| 2.6.1 | सहायक कंपनियों एवं उसी समूह की कंपनियों को | |
| 2.6.2 | अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को | |
| 2.7 | निवल परिसंपत्तियाँ (कुल बाहरी देयताओं को कुल परिसंपत्तियों में से घटाकर) | |
| 3 | ब्याज दरें | |
| 3.1 | जमाराशियों के लिए प्रस्तावित दरें | |
| 3.1.1 | अधिकतम | |
| 3.1.2 | न्यूनतम | |
| 3.2 | अभिनियोजन पर प्रभार | |
| 3.2.1 | अधिकतम | |
| 3.2.2 | न्यूनतम | |

भाग - 3 पर्यवेक्षी आंकड़े

| मद सं. | विवरण | |
|--------|---|---|
| 1. | पंजीकरण संख्या और दिनांक (भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ क के तहत) | |
| 2. | यदि पंजीकरण नहीं हुआ है तो पंजीकरण की स्थिति अर्थात् क्या आवेदन पत्र लंबित है, अस्वीकृत किया गया है या रद्द किया गया है | |
| 3. | गतिविधियों के अनुसार कंपनी का उप वर्गीकरण - उपस्कर पट्टादायी, किराया खरीद, ऋण/ निवेश, अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी, अगर लागू हो | |
| 4. | पिछले तीन वित्तीय वर्षों की क्रेडिट रेटिंग (अगर लागू हो तो) और रेटिंग एजेन्सी का नाम। | 1) 2) 3) |
| 5.1 | वर्तमान और पिछली तीन तिमाहियों के लिए वैध क्रेडिट रेटिंग @ | तिमाही 1, तिमाही 2, तिमाही 3, तिमाही 4, |
| 5.2 | पिछली तिमाही में क्रेडिट रेटिंग में हुए परिवर्तन, अगर कोई हों तो। | पिछला रेटिंग ----- वर्तमान रेटिंग----- |
| 6. | निवल स्वाधिकृत निधियाँ (भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ क में यथा परिभाषित)[पिछले लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रकट की गई निवल स्वाधिकृत निधियों में मिलाई गई मध्यावधि नई पूंजी भी जोड़ी जाए]@ | तिमाही 1, तिमाही 2, तिमाही 3, तिमाही 4, |
| 7. | पिछली 4 तिमाहियों के अंत में जोखिम परिसंपत्तियों से पूंजी का अनुपात (विवेक पूर्ण मानदंडों संबंधी विवरणी के अनुसार) | |
| 8.1 | अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी के मामले में पिछली 4 तिमाहियों के अंत में जनता की जमाराशियाँ - पिछली 4 तिमाहियों के अंत में कुल जमाराशियाँ | |
| 8.2 | जमाराशि स्वीकरण संबंधी निदेश के तहत जनता की जमाराशियाँ धारण करने (होल्ड करने) की पात्रता। | |
| 8.3 | अतिरिक्त धारित जमाराशियाँ, अगर कोई हों | |
| 8.4 | परिपक्व और दावाकृत जनता की जमाराशियाँ किन्तु जिन्हें अदा नहीं किया गया (यदि कोई हो) | |
| 9.1 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झख के अनुसार कितनी चल परिसंपत्तियाँ रखनी अपेक्षित हैं | |
| 9.2 | (भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झख के अनुसार) वस्तुतः रखी गई चल परिसंपत्तियाँ | |
| 10 | नामित बैंकर का नाम और पता | |
| 11.1 | (भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ क के तहत) रखी जानी वाली चल परिसंपत्ति में कमी, अगर कोई हो | |
| 11.2 | कमी के मामले में, अगर दंडात्मक ब्याज का भुगतान किया गया हो, तो ऐसी ब्याज राशि। | |
| 11.3 | अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के मामले में -अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी निदेश के पैरा 6 (1) (क) के अनुसार अपेक्षित निवेश | |

| | | |
|-------|--|--|
| 11.4 | अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के मामले में -अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी निदेश के पैरा 6 (1) (क) के अनुसार वास्तव में किया गया निवेश | |
| 11.5 | निदेश के पैरा 6 (1)(क) के अनुसार किये जाने वाले निवेश में कमी, यदि कोई हो | |
| 11.6 | अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के मामले में -अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी निदेश के पैरा 6 (1) (ख) के अनुसार अपेक्षित निवेश | |
| 11.7 | अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के मामले में -अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी निदेश के पैरा 6 (1) (ख) के अनुसार वास्तव में किया गया निवेश। | |
| 11.8 | निदेश के पैरा 6 (1)(ख) के अनुसार किये जाने वाले निवेश में कोई कमी। | |
| 11.9 | अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के मामले में -अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी निदेश के पैरा 6 (1) (ग) के अनुसार अपेक्षित निवेश पात्रता। | |
| 11.10 | अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के मामले में -अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी निदेश के पैरा 6 (1) (ग) के अनुसार किए गए निवेश। | |
| 11.11 | अमूर्त परिसंपत्तियों को घटाने के बाद कुल परिसंपत्तियाँ (बही मूल्य) [अंतिम (last)-----के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार] | |
| 11.12 | परिसंपत्तियों का नकद करने योग्य मूल्य। [अंतिम (last)-----के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार] | |
| 12 | कुल बाह्य देयताएं। [अंतिम (last)-----के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार] | |
| 13 | शोधन-क्षमता (11.12-12) | |
| 14.1 | सकल अनर्जक परिसंपत्तियां (विवेकपूर्ण मानदण्डों संबंधी अंतिम विवरणी के अनुसार) | |
| 14.2 | निवल अनर्जक परिसंपत्तियां (विवेकपूर्ण मानदण्डों संबंधी अंतिम विवरणी के अनुसार) | |
| 14.3 | अनर्जक परिसंपत्तियों का कुल परिसंपत्तियों से प्रतिशत | |
| 14.4 | निवल अनर्जक परिसंपत्तियों का कुल उधार से प्रतिशत | |
| 15 | निवल लाभ / हानि [अंतिम (last) लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार] | |
| 16 | सहायक /समूह कंपनियों को, निवेश सहित, कुल जोखिम। | |
| 17.1 | अपने उपयोग से इतर, भूमि तथा भवन में कुल निवेश | |
| 17.2 | अपने उपयोग की भूमि तथा भवन में कुल निवेश | |
| 17.3 | दावों के समाधान से अर्जित/की पूर्ति के बाबत प्राप्त भूमि तथा भवन | |
| 17.4 | जो कंपनियाँ उसी समूह की सहायक कंपनियाँ नहीं हैं उनके असूचीबद्ध शेयरों में कुल निवेश | |
| 18 | कंपनी ने ऋण /निवेश के केंद्रीकरण मानदंडों का अनुपालन किया है। | |
| 19 | औसत कुल परिसंपत्तियों की तुलना में सकल आय (अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार) | |
| 20 | ब्याज की व्याप्ति(कवरेज) का अनुपात (अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार) | |

| | | |
|----|--|----------|
| 21 | औसत कुल परिसंपत्तियों की तुलना में परिचालन व्यय (अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार) | |
| 22 | औसत कुल परिसंपत्तियों की तुलना में करोत्तर लाभ (अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार) | |
| 23 | औसत मूर्त निवल परिसंपत्ति पर आय(रिटर्न) (अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार) | |
| 24 | पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अनावर्ती और असाधारण आय -व्यय मदों को छोड़कर लाभ की प्रवृत्ति। | 1) 2) 3) |

@ ध्यानार्थ: वर्तमान तिमाही और पिछली तीन तिमाहियों का डाटा प्रस्तुत करें।

वर्तमान तिमाही के आंकड़े 'शीर्ष तिमाही 4' के नीचे दिए जाएं।

| पिछली तिमाही के लिए प्रक्षेपण | वर्तमान तिमाही के लिए वास्तविक | अगली तिमाही के लिए प्रक्षेपण |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|

अंतर्प्रवाह

1. अधिमानी पूंजी
2. प्रतिभूतियों की बिक्री
3. अग्रिम प्राप्ति
4. मियादी ऋण
5. किराया खरीद/पट्टेदारी / ऋण मद्दे संग्रहण
6. डिबेंचरों से
7. जमा
8. जमा राशियों का नवीकरण
9. आईसीडी उधार
10. असोसिएट फर्मों से प्राप्ति
11. बैंक उधार
12. अन्य

योग

बहिर्प्रवाह

1. धन-वापसी /मोचन निषेध
2. जमाराशियों का नवीकरण
3. अग्रिम
4. निम्नलिखित पर ब्याज का भुगतान
 - (i) जमाराशियों
 - (ii) डिबेंचरों
 - (iii) बैंकों से लिए गए उधार
 - (iv) अंतर कंपनी जमाराशियों
 - (V) अन्य
5. चुकौती
 - (i) जमा राशियां
 - (ii) डिबेंचरों
 - (iii) बैंकों से उधार

(iv) अंतर कंपनी जमाराशियों

(V) अन्य

6. सावधि जमा /डिबेंचर /ऋण
संग्रह पर व्यय

7. पट्टा किराया

8. प्रतिभूतियों में निवेश

9. प्रशासनिक व्यय

10. असोसिएट कंपनियों को भुगतान

11. अन्य बहिर्प्रवाह

कुल

अथ शेष

अंतर्प्रवाह गत बेशी/कमी

इति शेष

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी कंपनी की बहियों में से ली गई है और हमारी सूचना और जानकारी के अनुसार सत्य और सही है।

स्थान :

दिनांक :

(कंपनी की मुहर)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

भाग - 4 पर्यवेक्षी टिप्पणी

(भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरकर संलग्न किया जाना है)

| मद सं. | ब्योरा | टिप्पणी |
|--------|---|---|
| 1 | पंजीकरण की स्थिति यदि मंजूर किया गया किंतु जारी नहीं हुआ तो उसके कारण | जारी / अनुमोदित किंतु जारी नहीं किया गया / लंबित हैं |
| 2.1 | विवरणों प्रस्तुति अनुशासन का अनुपालन | |
| 2.2 | जमाराशियों पर वार्षिक विवरणी (पिछले तीन वर्षों के लिए) | वर्तमान वर्ष (-----), पिछला वर्ष (-----), उससे पिछला वर्ष (-----) समय पर/ विलंब से , समय पर/ विलंब से, समय पर/ विलंब से। |
| 2.3 | विवेक पूर्ण मानदंडों पर अर्द्ध वार्षिक विवरणी (पिछले तीन अर्द्ध वर्षों के लिए) | वर्तमान अर्द्ध वर्ष (-----), पिछला अर्द्ध वर्ष (-----), उससे पिछला अर्द्ध वर्ष (-----) समय पर/ विलंब से , समय पर/ विलंब से, समय पर/ विलंब से। |
| 2.4 | तरल परिसंपत्तियों के संबंध में तिमाही विवरणी (अंतिम 4 तिमाहियों के लिए) | -----को समाप्त तिमाही -----को समाप्त तिमाही -----को समाप्त तिमाही -----को समाप्त तिमाही समय पर/ विलंब से , समय पर/ विलंब से, समय पर/ विलंब से, समय पर/ विलंब से ,। |
| 2.5 | विवरणियों की विलंब से प्रस्तुति/अप्रस्तुति पर की गई कार्रवाई | |
| 3.1 | मौके पर (ऑन साइट) की गई जांच का ब्योरा | |
| 3.2 | मौके पर (ऑन साइट) की गई अंतिम जांच की तारीख और प्रकार (नियमित निरीक्षण, स्नैप स्क्रूटिनी, पर्यवेक्षी मुआयना, आदि.) | |
| 3.3 | किस अवधि के लिए जांच की गई | |
| 3.4 | जांच का उद्देश्य | |
| 3.5 | जांच के निष्कर्ष संक्षेप में(निदेशों के जिन पैराग्राफों का उल्लंघन किया गया, उनका उल्लेख करें) | |
| 4 | तरलता अनुपात | उल्लिखित(S) आकलित (A), S-A |
| 5 | शोधन क्षमता | उल्लिखित आकलित , S S-A |
| 6 | स्वाधिकृत निधियाँ(एनओएफ) | उल्लिखित आकलित , S-A |
| 7 | सीआरएआर | उल्लिखित आकलित, S-A |
| 8 | पर्यवेक्षी पत्र जारी करने का दिनांक | |

| | | |
|------|--|--|
| 9.1 | जाँच निष्कर्षों का अनुपालन | संतोष जनक /असंतोषजनक /अप्रभावी |
| 9.2 | अननुपालित रहे पैराग्राफ | |
| 10.1 | क्या कंपनी ने जमाराशियों की अदायगी में चूक की है? | |
| 10.2 | सीएलबी आदेश का ब्योरा, यदि कोई हो | |
| 10.3 | आदेश /शों के दिनांक | |
| 10.4 | आदेश में समाविष्ट जनता की जमाराशियों का योग | |
| 10.5 | कंपनी के विरुद्ध की गई पर्यवेक्षी कार्रवाई का ब्योरा | |
| 10.6 | अस्वीकृत कंपनियों, जो जनता की जमाराशि की धारक हैं, द्वारा मासिक विवरणी का प्रस्तुतीकरण | नियमित/अनियमित प्रस्तुतीकरण/प्रस्तुत नहीं की गई। |
| 10.7 | उपर्युक्त विवरणी विलंब से प्रस्तुत करने /न करने के संबंध में की गई कार्रवाई। | |
| 11 | न्यायालयीन मामलों की प्रगति, संक्षेप में दें | |
| 12 | निगरानीकर्ता समूह की टिप्पणियाँ | |

स्थान :

दिनांक :

(हस्ताक्षर)

महाप्रबंधक /उप महाप्रबंधक